लोक शिक्षण संचालनालय,
मध्यप्रदेश

क्रमांक / मान्यता / फी.वि.अ. / 2024 / 1176 भोपाल, दिनांक 16 / 07 / 2024

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
   लोक शिक्षण म.प्र.
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   मध्यप्रदेश।

विषयः— मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 एवं नियम 2020 के प्रावधानों के तहत अधिरोपित शास्ति की राशि विषयक्।

संदर्भः—मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र कमांक / 285 / 1987746 / 2024 / 20—3 भोपाल, दिनांक 30 / 05 / 2024

विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 एवं नियम 2020 के प्रावधानों के तहत अधिरोपित की जाने वाली शास्ति की राशि किस मद में जमा की जाए, के संबंध में विभिन्न जिलों द्वारा मार्ग दर्शन चाहा जा रहा है। उक्त के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 एवं नियम 2020 के प्रावधानों के तहत जिस बैंक खाते में प्रक्रिया शुल्क जमा किया जाता है, उसी खाते में अधिरोपित शास्ति की राशि ऑनलाईन जमा की जाए न कि बैंक ड्रॉफ्ट अथवा चैक द्वारा संचालनालय लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल को भेजी जाए। बैंक खाते का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	बैंक का नाम एवं शाखा	खाता क्रमांक	आई.एफ.एस.सी. कोड	खाताधारक का नाम
01	HDFC BANK M.P.NAGAR BHOPAL	50200059579785	HDFC0001257	Commissioner Public Instruction MP

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(के.के.द्विवेदी)
संचालक
लोक शिक्षण म.प्र.

पृ.क्रमांक / मान्यता / फी.वि.अ. / 2024 / 1177 भोपाल, दिनांक 16 / 07 / 2024

प्रतिलिपिः—

1. निज सहायक सचिव, म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त जनजाति कार्य विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल ।
3. अतिरिक्त मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
4. प्रबंधक, एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा एम.पी.नगर भोपाल
5. प्रबंधक, एन.आई.सी. भोपाल।
6. समस्त जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक
लोक शिक्षण म.प्र.